CONTENTS

Seventeenth Series, Vol. VII, Third Session, 2020/1941 (Saka)
No.11, Tuesday, March 3, 2020/Phalguna 13, 1941 (Saka)

SUBJECT	PAGES
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS	12-17
*Starred Question No. 161	
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS	
Starred Question Nos. 162 to 180	18-76
Unstarred Question Nos. 1841 to 2070	77-673
OBSERVATION BY THE SPEAKER	
Display of placards by the members	17

* The sign + marked above the name of a Member indicates that the Question was actually asked on the floor of the House by that Member.

PAPERS LAID ON THE TABLE 675-679

BUSINESS ADVISORY COMMITTEE
14th Report 680

STANDING COMMITTEE ON AGRICULTURE
9th and 10th Reports 680

COMMITTEE ON EXTERNAL AFFAIRS
2nd Report 681

STANDING COMMITTEE ON URBAN DEVELOPMENT
2nd Report 681

STANDING COMMITTEE ON RURAL DEVELOPMENT
4th to 6th Reports 681

STANDING COMMITTEE ON SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT
6th and 7th Reports 682

STANDING COMMITTEE ON INDUSTRY
297th to 299th Reports 682

STANDING COMMITTEE ON TRANSPORT, TOURISM AND CULTURE
275th Report 683

STANDING COMMITTEE ON HEALTH AND FAMILY WELFARE

118th and 119th Reports 683

STATEMENTS BY MINISTERS

(i) Status of implementation of the 212th Report of the Standing Committee on Home Affairs on Action Taken by the Government on the recommendations/observations contained in 204th Report of the Committee on Administration and Development of Union Territory of Lakshadweep pertaining to the Ministry of Home Affairs

Shri G. Kishan Reddy 684

(ii)(a) Status of implementation of the recommendations/ observations contained in the 214th Report of the Standing Committee on Home Affairs on 'Working Conditions in Border Guarding Central Armed Police Forces (Border Security Force, Indo-Tibetan Border Police, Sashastra Seema Bal and Assam Rifles)' pertaining to the Ministry of Home Affairs

(ii)(b) Status of implementation of the recommendations/ observations contained in the 215th Report of the Standing Committee on Home Affairs on 'Working Conditions in Non-Border Guarding Central Armed Police Forces (Central Reserve 12 Police Force, Central Industrial Security Force and National Security Guard)' pertaining to the Ministry of Home Affairs

Shri Nityanand Rai 685

BANKING REGULATION (AMENDMENT) BILL, 2020 686-687

MATTERS UNDER RULE 377 690-710

(i) Need to expedite construction of NH-1(44) from Mukarba Chowk in Sonipat to Panipat in Haryana

Shri Ramesh Chander Kaushik 690

(ii) Regarding changing the nomenclature of Awas Yojana in Madhya Pradesh

Shri Sudheer Gupta 690

(iii) Need to ease the conditions of loan scheme under Kisan Credit Card

Shri Sumedhanand Saraswati 691

(iv) Regarding transfer of immovable property of immigrants

Shri Gopal Shetty 692

(v) Need to provide a wagon in Pawan Express (train no. 11062) for transportation of Lichee from Muzaffarpur, Bihar to Mumbai

Shri Ajay Nishad 693

(vi) Need to mitigate the sufferings of banana growers in Jalgaon district, Maharashtra

Shrimati Raksha Nikhil Khadse 694

(vii) Need to declare certain state roads in Tripura as National Highways

Shrimati Pratima Mondal 694

(viii) Need to reopen the Weaving Mill in Sandila Tehsil in Misrikh Parliamentary Constituency, Uttar Pradesh

Shri Ashok Kumar Rawat 695

(ix) Regarding overuse of antibiotics

Dr. (Prof.) Kirit Premjibhai Solanki 695

(x) Need to link Prayagraj in Uttar Pradesh with upcoming Defence Industrial Corridor in Uttar Pradesh.

Prof. Rita Bahuguna Joshi 696

(xi) Need to set up a Academy of Tribal Culture in Tripura East Parliamentary Constituency in Tripura

Shri Rebati Tripura 697

(xii) Need to provide centres of various entrance examinations conducted by SSC and UPSC in Jalaun district, Uttar Pradesh

Shri Bhanu Pratap Singh Verma 697

(xiii) Need to honour Vitthal Sakharam Page, freedom fighter of Maharashtra with Padma Award posthumously

Sushri S. Jothimani 698

(xiv) Need to improve the infrastructure at Employees' State Insurance Hospital, Karur in Kerala

Sushri S. Jothimani 699

(xv) Need to ensure sale of original organic products

Kumari Ramya Haridas 699

(xvi) Need for parking and resting facilities for truck drivers plying on Hosur-Salem-Kochi stretch of National Highway

Shri V. K. Sreekandan 700

(xvii) Need to recruit adequate local manpower in ISRO Propulsion Complex in Tamil Nadu

Shri S. Gnanathiraviam 701-702

(xviii) Regarding considering genuine needs of differently-abled sports persons

Dr. T. R. Paarivendhar 703

(xix) Regarding setting up of AIIMS in Andhra Pradesh

Shri Raghu Rama Krishna Raju

(xx) Need to lay a new railway line from Joynagar to Moipith in West Bengal

Shrimati Pratima Mondal 705

(xxi) Need to release the share of Central Government for payment of compensation to farmers in Buldhana Parliamentary Constituency, Maharashtra

Shri Prataprao Jadhav 706

(xxii) Need to include certain castes as proposed by Government of Bihar in the list of Scheduled Tribes.

Shri Kaushlendra Kumar 707

(xxiii) Need to run a superfast train from Moradabad to Mumbai with the stoppage of the train also at Amroha in Uttar Pradesh.

Kunwar Danish Ali 708

(xxiv) Need to constitute a Fishermen Welfare Fund.

Shri Ram Mohan Naidu Kinjarapu 709

(xxv) Need to sanction additional new batch for academic year 2020-2021 in Kendriya Vidyalaya at Kollam in Kerala.

Shri N.K. Premachandran 710

(xxvi) Regarding problem of teachers in Dadra and Nagar Haveli.

Shri Mohanbhai Sanjibhai Delkar 710

DIRECT TAX VIVAD SE VISHWAS BILL, 2020 712

Motion to consider 712

Shrimati Nirmala Sitharaman 712

Clauses 2 to 7 713-720

<u>ANNEXURE – I</u>

Member-wise Index to Starred Questions 721

Member-wise Index to Unstarred Questions 722-727

<u>ANNEXURE – II</u>

Ministry-wise Index to Starred Questions 728

Ministry-wise Index to Unstarred Questions 729

OFFICERS OF LOK SABHA

THE SPEAKER

Shri Om Birla

PANEL OF CHAIRPERSONS

Shrimati Rama Devi

Dr. (Prof.) Kirit Premjibhai Solanki

Shri Rajendra Agrawal

Shrimati Meenakashi Lekhi

Shri Kodikunnil Suresh

Shri A. Raja

Shri P.V. Midhun Reddy

Shri Bhartruhari Mahtab

Shri N.K. Premachandran

Dr. Kakoli Ghosh Dastidar

SECRETARY GENERAL

Shrimati Snehlata Shrivastava

LOK SABHA DEBATES

LOK SABHA

Tuesday, March 3, 2020/Phalguna 13, 1941 (Saka)

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock.

[HON. SPEAKER *in the Chair*]

…(व्यवधान)

ORAL ANSWER TO QUESTION

माननीय अध्यक्ष : अब प्रश्न काल **,** प्रश्न संख्या 161
श्री मगुंटा श्रीनिवासुलू रेड्डी ।
(161)

प्रो. सौगत राय : सर, एडजर्नमेंट मोशन को लिया जाए। …(व्यवधान)

श्री रितेश पाण्डेय : सर, एडजर्नमेंट मोशन हमारी पार्टी की तरफ से भी है। …(व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी : सर**,** एडजर्नमेंट मोशन को लिया जाए। …(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : एक मिनट।

…(व्यवधान)

SHRI T. R. BAALU : Sir, they are sitting like mute spectators. …(*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : प्लीज माननीय बालू जी**,** बैठिए। एक मिनट**,** बैठ जाइए।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप सब लोगों ने ही यह फैसला किया था कि कितना भी बड़ा गम्भीर विषय होगा**,** हम प्रश्न काल के बाद उस विषय को उठाएंगे।

…(व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी : सर**,** हमने एडजर्नमेंट मोशन का नोटिस दिया है। **…(**व्यवधान**)**

माननीय अध्यक्ष : जब एडजर्नमेंट मोशन का समय आए**,** मैं आपको एलाऊ करूं**,** तब आप आपने विषय को रखना। अभी प्रश्न काल चलने दें।

…(व्यवधान)

श्री सुदीप बन्दोपाध्याय : सर, एडजर्नमेंट मोशन तो प्रश्न काल के पहले लिया जाता है । …(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मैंने कल आप लोगों से आग्रह किया था।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : एक मिनट, आपस में बात मत करिए।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : बैठ जाइए।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, बैठ जाइए।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, सदन सबकी सहमति से चलता है, सबके सहयोग से चलता है। सदन सबकी सहमतति और सबके सहयोग से चलता है, तो सदन ठीक से संचालित भी होता है। आप लोगों ने तय किया था कि प्रश्न काल एक महत्वपूर्ण काल है। जब कभी ऐसे कोई विषय होंगे, तो हम प्रश्न काल के बाद विषय को उठाएंगे।

आज सर्वदलीय बैठक के अंदर भी हमने दो बातों पर आपस में चर्चा की। नंबर एक, सदन के अंदर कोई भी, चाहे ट्रेजरी बेंच हो या प्रतिपक्ष की बेंच हो, कोई भी माननीय सदस्य इधर से उधर क्रॉस करके किसी की सीट पर नहीं जाएगा और अगर जाएगा, सुन लीजिए, यदि जाएगा, तो मैं आसन से व्यवस्था दे रहा हूं कि उसको पूरे चलते सत्र के लिए निलंबित करूंगा।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : सदन इसी तरीके से चलेगा।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : अच्छा आप बोलिए। एक-एक को मौका दूंगा।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आपके नेता बोल रहे हैं।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : एक मिनट आप बैठिए।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष :

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : अधीर रंजन जी।

…(व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी : सर, हम लोग आम लोगों के नुमाइंदे बनकर यहां आते हैं, देश के विषय को उठाने के लिए। **…(व्य**वधान) आज दिल्ली में जो हो रहा है…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मैं विषय की बात नहीं कर रहा हूं।

…(व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी : आज भी लाशों की कतार बढ़ रही है। …(व्यवधान) इस विषय को उठाने का हमें अधिकार है। …(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मैंने आपको बताया है।

…(व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी : सर, क्या यह विषय उठाने का हमें अधिकार नहीं है?…(व्यवधान) सारी दिल्ली जल रही है। …(व्यवधान) सारे देश की निगाहें इस पर टिकी हुई हैं। …(व्यवधान) इस विषय को रखने का मौका हमें देने के लिए हमने आपसे गुजारिश की है। …(व्यवधान) सरकार से दरख्वास्त कर रहे हैं। …(व्यवधान) सरकार के पक्ष से इस विषय को चर्चा में लाने के लिए बार-बार कह रहे हैं। …(व्यवधान)

SHRI T. R. BAALU : My only concern is the Delhi issue. The real issue should be discussed first. For that matter, the Government has not reacted in the Parliament so far. The hon. Deputy Leader of the House is the senior-most Member of the Cabinet. At least, he should react on this matter now. Let us have a threadbare discussion whole day.

SHRI SUDIP BANDYOPADHYAY : Today in the all-party meeting, it was certainly discussed that nobody should cross the Floor from this side of the House to that side. They started clapping. You also decided that they should not come to this side also and if they come, they will also be suspended. …(*Interruptions*) They will also be suspended. So, the question of suspension should be applied on both sides. It should not only be applied on this side but on that side also.

माननीय अध्यक्ष: मैं फिर सदन को अवगत करा दूं, चाहे ट्रेजरी बेंच का भी कोई व्यक्ति उधर जाएगा तो उस पर भी वही कार्रवाई होगी जो इधर की बेंच वाले पर होगी, यही बात तय हुई थी न? इस बात पर मैंने सदन में व्यवस्था दी है।

…(व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी : अध्यक्ष महोदय**,** चर्चा शुरू की जाए**,** दिन भर की चर्चा शुरू कर दीजिए। …(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, आपका इस पर क्या मत है।

…(व्यवधान)

संसदीय कार्य मंत्री; कोयला मंत्री तथा खान मंत्री (श्री प्रहलाद जोशी): अध्यक्ष महोदय**,** मेरा निवेदन इतना ही है**,** अधीर रंजन जी थोड़ा सुनिए। **…**(व्यवधान)

मानीय अध्यक्ष: बालू जी, मैंने आपको भी बोलने का मौका दिया। ऐसे नहीं, आपको भी मौका दिया, सभी को मौका दिया। सौगत दा, मैंने आपके नेता को भी बोलने का मौका दिया। एक दल से एक नेता को बोलने का मौका दिया।

…(व्यवधान)

श्री प्रहलाद जोशी: अध्यक्ष महोदय, सदन में डिसिप्लिन बनाने के लिए आपके नेतृत्व में जो निर्णय हुआ है, हम पूरे तहेदिल से उसका स्वागत करते हैं और हम आपके साथ हैं। मुझे दिल्ली के बारे में इतना ही कहना है, अधीर रंजन जी, इसे जीरो ऑवर में उठाना है, तो उठाने दो। …(व्यवधान) Shri Baalu, you are a senior Member of this House. …(*Interruptions*) You do not want to listen to me. …(*Interruptions*) आप मेरा पूरा वाक्य भी नहीं सुनना चाहते हैं। You just listen to me. Shri Suresh, you are a senior Member of this House. Please listen to me. …(*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष: आप उन्हें पूरी बात कहने दो। क्या उन्होंने अपनी पूरी बात समाप्त कर दी? बालू जी, प्लीज। आप उनको पूरी बात कहने दें, उसके बार रिएक्ट करें। सिस्टम से सदन चलाएं। मैंने आपको समझाया न?

…(व्यवधान)

SHRI PRALHAD JOSHI: I would like to put this on record. Yesterday also, we had said that हमने बताया था कि अगर वे रेज करना चाहते हैं तो इसे रेज करने में हमें कोई आपत्ति नहीं थी। I just want to say that restoration of peace and normalcy is the topmost priority. फिर भी जब आप तैयार होते हैं तो सरकार चर्चा के लिए तैयार है। …(व्यवधान) Let the hon. Speaker decide. …(*Interruptions*) Shri Adhir Ranjan Ji, you are a senior leader. What are you doing? You do not want to run the House. …(*Interruptions*) फाइनेंस बिजनेस है, फाइनेंस बिल है, हमारा कन्स्टीट्यूशनल ऑब्लीगेशन है।

माननीय अध्यक्ष: सुरेश जी, मैं व्यवस्था दे रहा हूं। प्लीज

SHRI T. R. BAALU : He is the hon. Deputy Leader of the House. He should say something. …(*Interruptions*)

प्रो. सौगत राय: आप टाइम बता दीजिए। …(व्यवधान)

11.09 hrs

OBSERVATION BY THE SPEAKER

Display of placards by the members

माननीय अध्यक्ष: जब मैं कोई व्यवस्था दे रहा हूं, तो क्या आप इस तरीके से बोलते रहेंगे?

दूसरा विषय सदन में जो हुआ है प्लैकार्ड का, प्लैकार्ड भी लेकर नहीं आना है, बैनर लेकर नहीं आना है।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: क्या आप प्लैकार्ड से संसद चलाना चाहते हैं? क्या आप संसद की मर्यादा इस तरह से चलाना चाहते हैं? आप यह बताओ, एनाउंस करो कि आप प्लैकार्ड लेकर संसद में आना चाहते हैं। मैं लेकर आना एलाऊ करूंगा।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: आप बोलो, क्या आप संसद में प्लैकार्ड एलाऊ कर रहे हैं?

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: आप बोलिए, क्या आप प्लैकार्ड लेकर संसद चलाना चाहते हैं? अगर आप प्लैकार्ड लेकर संसद चलाना चाहते हैं तो आप पार्टी की तरफ से एनाउंस करें कि हम ऐसे ही संसद चलाना चाहते हैं।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: क्या आप संसद ऐसे चलाना चाहते हैं?

…(व्यवधान)

श्री प्रहलाद जोशी: आप यह बता दें, देश को यह बता दें, सारी दुनिया को बता दें। …(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : सभा बारह बजे तक के लिए स्थगित होती है।

11.11 hrs

The Lok Sabha then adjourned till Twelve of Clock.

____

12.00 hrs

The Lok Sabha re-assembled at Twelve of the Clock.

(Dr.(Prof.) Kirit Premjibhai Solanki *in the Chair*)

माननीय सभापति: माननीय सदस्यगण, बैठ जाइए।

…(व्यवधान)

माननीय सभापति: आज सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की चर्चा है। यह महत्वपूर्ण चर्चा है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी, विकलांग और वरिष्ठ नागरिकों के लिए चर्चा है। मेरा आपसे निवेदन है कि आप लोग बैठ जाइए और सदन की कार्यवाही चलने दीजिए। यह गरिमा का विषय है और हम सबको गरिमा के विषय पर चर्चा करनी चाहिए।

…(व्यवधान)

माननीय सभापति : सभा की कार्यवाही दो बजे तक के लिए स्थगित होती है।

12.02 hrs

The Lok Sabha then adjourned till Fourteen of the Clock.

14.00 hrs

The Lok Sabha re-assembled at Fourteen of Clock.

(Hon. Speaker *in the Chair*)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, मुझे कुछ विषयों पर स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। मैंने स्थगन प्रस्ताव की किसी भी सूचना के लिए अनुमति प्रदान नहीं की है।

14.01 hrs

PAPERS LAID ON THE TABLE

माननीयअध्यक्ष :अब पत्र सभा पटल पर रखे जाएंगे।

श्री गिरिराज सिंह

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री (श्री गिरिराज सिंह) : अध्यक्ष महोदय, मैंवर्ष 2020-2021 के लिए मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय की निर्गत परिणामी रूपरेखाकीएकप्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) पत्र सभापटल पर रखता हूं। …(व्यवधान)

(Placed in Library, See No LT 2128/17/20)

माननीय अध्यक्ष: आप कुछ अनुशासन भी सीख लीजिए।

…(व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): सर, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं कि ये सभी मैम्बर्स हैं। …(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: आप इन्हें समझाइए। आप जैसे लोगों ने सदन चलाने की परम्पराएं बनाई हैं तो इन्हें बनी रहने दीजिए।

…(व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी: सर, हम कहां जाएंगे। हम कुछ नहीं करते हैं। …(व्यवधान)

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) :अध्यक्ष महोदय**,** मैंनिम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(क) (एक) ब्रिज एंड रूफ कंपनी (इंडिया) लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण कीसरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) ब्रिज एंड रूफ कंपनी (इंडिया) लिमिटेड, कोलकाता का वर्ष 2018-2019 का वार्षिकप्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(Placed in Library, See No LT 2129/17/20)

(ख) (एक) नेपा लिमिटेड, नेपानगर के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षाके बारेमें विवरण।

(दो) नेपा लिमिटेड, नेपानगर का वर्ष 2018-2019 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथाउन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) के मद (ख) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(Placed in Library, See No LT 2130/17/20)

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री दानवे राव साहेब दादाराव) :अध्यक्ष महोदय**,** मैं निम्नलिखित पत्र सभापटल पर रखता हूं:-

(1) आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्षित परिदान) अधिनियम, 2016 की धारा 55 के अंतर्गत अधिसूचना सं. का.आ. 4616(अ) जो 26 दिसम्बर, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा 8 फरवरी, 2017 की अधिसूचना

सं. का.आ. 371 (अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(Placed in Library, See No LT 2131/17/20)

(2) भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 की धारा 40 की उप-धारा (2) के अंतर्गत भारतीय मानक ब्यूरो (वैज्ञानिक काडर की भर्ती) विनियम, 2019, जो 23 दिसम्बर, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ.सं. बीएस/11/07/2019 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(Placed in Library, See No LT 2132/17/20)

(3) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 के अंतर्गत जारी निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) विनिर्दिष्ट खाद्य पदार्थों पर अनुज्ञप्तिकरण अपेक्षाएँ, स्टॉक सीमाएँ और संचलन प्रतिबंधनिराकरण (तीसरा संशोधन) आदेश, 2019, जो 28 नवम्बर, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. का.आ. 4298(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(दो) विनिर्दिष्ट खाद्य पदार्थों पर अनुज्ञप्तिकरण अपेक्षाएँ, स्टॉक सीमाएँ और संचलन प्रतिबंध निराकरण (चौथा संशोधन) आदेश, 2019, जो 3 दिसम्बर, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. का.आ. 4341(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(तीन) विनिर्दिष्ट खाद्य पदार्थों पर अनुज्ञप्तिकरण अपेक्षाएँ, स्टॉक सीमाएँ और संचलन प्रतिबंधनिराकरण (पांचवां संशोधन) आदेश, 2019, जो 10 दिसम्बर, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. का.आ. 4417(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(चार) विनिर्दिष्ट खाद्य पदार्थों पर अनुज्ञप्तिकरण अपेक्षाएँ, स्टॉक सीमाएँ और संचलन प्रतिबंधनिराकरण (छठा संशोधन) आदेश, 2019, जो 16 दिसम्बर, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. का.आ. 4471(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(Placed in Library, See No LT 2133/17/20)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI G. KISHAN REDDY): Sir, I beg to lay on the Table:

(1) A copy of the Notification No. S.O.1394(E) (Hindi and English versions) published in Gazette of India dated 3rd May, 2017 regarding delegation of powers and functions of the appropriate Government to Administrator/Lieutenant Governor of the Union Territories of Andaman and Nicobar Islands, Chandigarh, Dadra and Nagar Haveli, Daman and Diu and Lakshadweep under sub-section (1) of Section 86 of the Real Estate (Regulation and Development) Act, 2016.

(2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

(Placed in Library, See No LT 2134/17/20)

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) :श्रीपरषोत्तमरूपालाकीओरसे,मैंनिम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) नेशनल सीड्स कार्पोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण कीसरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) नेशनल सीड्स कार्पोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2018-2019 का वार्षिक प्रतिवेदन,लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वालाविवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(Placed in Library, See No LT 2135/17/20)

(3) (एक) प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैरायटीज एंड फार्मर्स राइट्स अथॉरिटी, नई दिल्ली के वर्ष2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैरायटीज एंड फार्मर्स राइट्स अथॉरिटी, नई दिल्ली के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षाप्रतिवेदन।

(तीन) प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैरायटीज एंड फार्मर्स राइट्स अथॉरिटी, नई दिल्ली के वर्ष2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथाअंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वालाविवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(Placed in Library, See No LT 2136/17/20)

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) :डॉ. संजीव कुमार बालियान की ओर से, मैं कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) गोवा मीट कॉम्पलेक्स लिमिटेड, पणजी के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(2) गोवा मीट कॉम्पलेक्स लिमिटेड, पणजी का वर्ष 2018-2019 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(Placed in Library, See No LT 2137/17/20)

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नित्यानन्द राय) :अध्यक्ष महोदय**,** मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) (एक) लैंड पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन कीएक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) लैंड पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकारद्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वालाविवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(Placed in Library, See No LT 2138/17/20)

(3) सीमा सुरक्षा बल अधिनियम, 1968 की धारा 141 की उप-धारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) सीमा सुरक्षा बल काम्बेटाइज्ड पैरा-मेडिकल स्टाफ भर्ती (संशोधन) नियम, 2019, जो 8जनवरी, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 17(अ) में प्रकाशित हुएथे।

(दो) सीमा सुरक्षा बल काम्बेटाइज्ड पैरा-मेडिकल स्टाफ भर्ती (संशोधन) नियम, 2019, जो 10 जनवरी, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 25 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(Placed in Library, See No LT 2139/17/20)

(4) पासपोर्ट (भारत में प्रवेश) अधिनियम, 1920 की धारा 3 की उप-धारा (5) के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या का.आ. 781 (अ) जो 11 फरवरी, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा पासपोर्ट (भारत में प्रवेश) नियम, 1950 के प्रयोजन हेतु पंजाब राज्य के डेरा बाबा नानक लैंड चेक पोस्ट को एक प्राधिकृत आप्रवासन चेक पोस्ट के रूप में घोषित किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(Placed in Library, See No LT 2140/17/20)

(5) विदेशियों विषयक अधिनियम, 1946 की धारा 3 (क) की उप-धारा (2) के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या का.आ. 782(अ) जो 11 फरवरी, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा विदेशियों विषयक आदेश, 1948 के प्रयोजन हेतु मुख्य आप्रवासन अधिकारी, बीओआई डेरा बाबा नानक को 11.02.2019 से 'सिविल प्राधिकारी' के रूप में नियुक्त किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(Placed in Library, See No LT 2141/17/20)

जल शक्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री रतन लाल कटारिया) :अध्यक्ष महोदय**,** मैं कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम, दिल्ली के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(2) राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम, दिल्ली का वर्ष 2018-2019 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(Placed in Library, See No LT 2142/17/20)

14.01 ½ hrs

BUSINESS ADVISORY COMMITTEE
14th Report

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEAVY INDUSTRIES AND PUBLIC ENTERPRISES (SHRI ARJUN RAM MEGHWAL): Sir, on behalf of my colleague, Shri Pralhad Joshi, I beg to present the Fourteenth Report of the Business Advisory Committee.

14.02 hrs

STANDING COMMITTEE ON AGRICULTURE
9th and 10th Reports

SHRI P. C. GADDIGOUDAR (BAGALKOT): Sir, I beg to present the following Reports (Hindi and English versions) (Seventeenth Lok Sabha) of Standing Committee on Agriculture (2019-20):

(1) 9th Report on 'Demands for Grants (2020-21)' of the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare (Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare).

(2) 10th Report on 'Demands for Grants (2020-21)' of the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare (Department of Agricultural Research and Education).

14.02 ½ hrs

STANDING COMMITTEE ON EXTERNAL AFFAIRS

2nd Report

SHRI P. P. CHAUDHARY (PALI): Sir, I beg to present the Second Report (English and Hindi versions) of the Standing Committee on External Affairs (2019-20) on Demands for Grants of the Ministry of External Affairs for the year 2020-21.

14.03 hrs

STANDING COMMITTEE ON URBAN DEVELOPMENT

2nd Report

SHRI JAGDAMBIKA PAL (DOMARIYAGANJ): Sir, I beg to present the Second Report (Hindi and English versions) of the Standing Committee on Urban Development (2019-20) of Seventeenth Lok Sabha on 'Demands for Grants (2020-21) of Ministry of Housing and Urban Affairs'.

14.03½ hrs

STANDING COMMITTEE ON RURAL DEVELOPMENT
4th to 6th Reports

श्री प्रतापराव जाधव (बुलढाणा) : अध्यक्ष महोदय, मैं ग्रामीण विकास संबंधीस्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:-

1. ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग)की "अनुदानों की मांगों (2020-21)"के बारे में चौथा प्रतिवेदन।
2. ग्रामीण विकास मंत्रालय (भूमि संसाधन विभाग) की "अनुदानों की मांगों (2020-21)"के बारे में पांचवां प्रतिवेदन।
3. पंचायती राज मंत्रालय की "अनुदानों की मांगों (2020-21)" के बारे में छठा प्रतिवेदन।

14.04hrs

STANDING COMMITTEE ON SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT
6th and 7th Reports

श्रीमती रमा देवी (शिवहर): महोदय, मैं सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति **(2019-20)** के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करती हूं:

1. सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग) की 'अनुदानों की मांगों **(2020-21)**' के बारे में छठा प्रतिवेदन।
2. सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग) की "अनुदानों की मांगों **(2020-21)**" के बारे में सातवां प्रतिवेदन।

14.04½ hrs

STANDING COMMITTEE ON INDUSTRY
297th to 299th Reports

श्री बिद्युत बरन महतो (जमशेदपुर): महोदय, मैं उद्योग संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:-

1. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2020-21) के बारे में 297वां प्रतिवेदन।
2. लोक उद्यम विभाग (भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय) से संबंधित अनुदानों की मांगों (2020-21) के बारे में 298वां प्रतिवेदन।
3. भारी उद्योग विभाग (भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय) से संबंधित अनुदानों की मांगों (2020-21) के बारे में 299वां प्रतिवेदन।

14.05 hrs.

STANDING COMMITTEE ON TRANSPORT, TOURISM AND CULTURE
275th Report

SHRI DUSHYANT SINGH (JHALAWAR-BARAN): Sir, I beg to lay on the Table the Two Hundred Seventy-fifth Report (Hindi and English versions) of the Standing Committee on Transport, Tourism and Culture on Demands for Grants (2020-21) of the Ministry of Tourism.

14.05 ½ hrs

STANDING COMMITTEE ON HEALTH AND FAMILY WELFARE
118th and 119th Reports

DR. PRITAM GOPINATHRAO MUNDE (BEED): Sir, I beg to lay on the Table the following Reports (Hindi and English versions) of the Standing Committee on Health and Family Welfare:-

1. 118th Report on Demands for Grants (2020-21) of the Department of Health and Family Welfare, Ministry of Health and Family Welfare.
2. 119th Report on Demands for Grants (2020-21) of the Department of Health Research, Ministry of Health and Family Welfare.

14.06 hrs

STATEMENTS BY MINISTERS

(i) Status of implementation of the 212th Report of the Standing Committee on Home Affairs on Action Taken by the Government on the recommendations/observations contained in 204th Report of the Committee on Administration and Development of Union Territory of Lakshadweep pertaining to the Ministry of Home Affairs.*

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI G. KISHAN REDDY): Sir, I beg to lay a statement regarding the status of implementation of the 212th Report of the Standing Committee on Home Affairs on Action Taken by the Government on the recommendations/observations contained in 204th Report of the Committee on Administration and Development of Union Territory of Lakshadweep pertaining to the Ministry of Home Affairs.

---

*Laid on the Table and also placed in Library, See No. LT 2143/17/20

14.06 ½ hrs

(ii) (a) Status of implementation of the recommendations/ observations contained in the 214th Report of the Standing Committee on Home Affairs on 'Working Conditions in Border Guarding Central Armed Police Forces (Border Security Force, Indo-Tibetan Border Police, Sashastra Seema Bal and Assam Rifles)' pertaining to the Ministry of Home Affairs.*

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नित्यानन्द राय): महोदय, मैं निम्नलिखित वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूं:गृह मंत्रालय से संबंधित 'सीमा की रक्षा करने वाले केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीमा सुरक्षा बल, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस, सशस्त्र सीमा बल और असम राइफल्स) के कार्य की स्थितियां' विषय पर गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति के **214**वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों के कार्यान्वयन की स्थिति।

(ii) (b)Status of implementation of the recommendations/ observations contained in the 215th Report of the Standing Committee on Home Affairs on 'Working Conditions in NonBorder Guarding Central Armed Police Forces (Central Reserve 12 Police Force, Central Industrial Security Force and National Security Guard)' pertaining to the Ministry of Home Affairs.*

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री : महोदय, मैं निम्नलिखित वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूं: गृह मंत्रालय से संबंधित 'सीमा की रक्षा न करने वाले केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल और राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड) के कार्य की स्थितियां' विषय पर गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति के **215**वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों के कार्यान्वयन की स्थिति।

---

*Laid on the Table and also placed in Library, See No. LT 2144/17/20 and 2145/17/20 respectively.

14.07 hrs

BANKING REGULATION (AMENDMENT) BILL, 2020*

माननीय अध्यक्ष : आइटम नम्बर-21 श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ।

…(व्यवधान)

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY (BAHARAMPUR): Sir, this item should not be taken up before the discussion on Delhi riots. …(*Interruptions*)

THE MINISTER OF FINANCE AND MINISTER OF CORPORATE AFFAIRS (SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Banking Regulation Act, 1949.…(*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन ।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : प्रो. सौगत राय ।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : श्री अधीर रंजन चौधरी ।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : एडवोकेट डीन कुरियाकोस ।

…(व्यवधान)

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: Sir, the Banking Regulation (Amendment) Bill, 2020 is absolutely the need of the hour. …(*Interruptions*) In this country, very recently, the Punjab and Maharashtra Cooperative Bank,

---

* Published in the Gazettee of India, Extraordinary, Part – II, Section 2, dated 3.3.2020

which is a Multi-State Cooperative Bank, unfortunately, has put a lot of small and medium sized depositors to difficulty. …(*Interruptions*) Constantly, there is a request that the Government should do something about it. …(*Interruptions*) Under the leadership of Prime Minister Modi, we have ensured that the deposit insurance is increased from Rs. 1 lakh to Rs. 5 lakh so that common citizens, who have saved their money, can be sure that, whatever be the difficulty, their money will be safe in the banks. …(*Interruptions*) But if the Opposition thinks that they can stall the demands of the small deposit holders who are looking up to the Government for some activity, for some protection, and if the small and medium depositors are being denied their right, it is a shame. They are against the small and medium depositors of this country. …(*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य मैंने आसन से व्यवस्था दे रखी है कि एक भी माननीय सदस्य ने बॉर्डर क्रॉस किया, वे चाहे इधर के माननीय सदस्य हों या उधर के माननीय सदस्य हों, मैं इमिडिएटली पूरे सत्र के लिए निलंबित कर दूंगा।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप बैठ जाइए।

…(व्यवधान)

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: Sir, the small and medium depositors of this country are looking up to this Government to protect them. …(*Interruptions*) We have raised the deposit insurance from Rs. 1 lakh to Rs. 5 lakh in order that we give the protection. …(*Interruptions*) Now, at this time, without this amendment, the depositors are going to be in a difficulty. So, I

appeal to everybody to take this amendment into consideration. …(*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है:

> “कि बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। ”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

…(व्यवधान)

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: Sir, I introduce* the Bill.

…(व्यवधान)

* Introduced with the recommendationof the President.

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, आप जिस विषय पर चर्चा कर रहे हैं, उस पर आप सभी ने सर्वसम्मति से फैसला किया है। सत्ता पक्ष ने कहा कि आसन से जो भी व्यवस्था होगी, उसे हम स्वीकार करेंगे। मैंने आपसे भी चर्चा की और आपसे भी चर्चा की। सदन के सभी दलों के नेताओं से चर्चा की। मेरा मानना है कि सदन में सहमति और असहमति हो सकती है, लेकिन देश हित में हम सभी काम कर रहे हैं।

इस समय देश की परिस्थिति को देखते हुए मेरा विचार है कि जिन विषयों पर आप कह रहे हैं, मैं आज ही व्यवस्था दे देता हूं, क्योंकि अभी होली का पर्व है, होली सौहार्दपूर्ण तरीके से मने।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप मेरी बात सुनें।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : सरकार इस विषय पर चर्चा करने के लिए तैयार है और सरकार ने कहा है कि होली के बाद, **11** तारीख को इस विषय पर चर्चा होनी चाहिए, आपने चर्चा मांगी है और सरकार चर्चा के लिए तैयार है।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : क्या सरकार चर्चा करने के लिए तैयार है**?**

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : सरकार चर्चा के लिए तैयार है और ऐसी परिस्थिति में हमें सदन में चर्चा करनी चाहिए।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : सरकार आप चर्चा करिए। आप भी सीट पर जाकर चर्चा करिए। सदन चर्चा करने के लिए है, संवाद करने के लिए है, वाद-विवाद करने के लिए है।

…(व्यवधान)

<u>14.11 hrs</u>

(At this stage, Shri Kodikunnil Suresh, Shri Bhagwant Mann and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table.)

माननीय अध्यक्ष : No, आप चर्चा करिए, संवाद में बैठिए, बात करिए, होली का अच्छा पर्व मनाइए। देश में सौहार्दपूर्ण तरीके से चर्चा होनी चाहिए। आप भी होली मनाएं, सभी लोग होली मनाएं, देश भर में लोग होली मनाएं। आप माननीय वरिष्ठ सदस्यों से सीखें। कोई वरिष्ठ सदस्य सीट छोड़ कर नहीं आते हैं।

…(<u>व्यवधान</u>)

माननीय अध्यक्ष : आज हम सभी लोग अनुसचित जनजाति, सामाजिक कल्याण पर चर्चा करना चाहते हैं, सामाजिक कल्याण का विषय बहुत महत्वपूर्ण है। आपके मुख्य सचेतक ने कहा है कि समाजिक कल्याण विषय पर चर्चा होनी चाहिए, दो दिनों तक चर्चा होनी चाहिए।

…(<u>व्यवधान</u>)

माननीय अध्यक्ष : आप समाज कल्याण विषय पर चर्चा नहीं करना चाहते हैं**?** आप दलित, शोषित और पीड़ित व्यक्तियों पर चर्चा नहीं करना चाहते हैं**?**

…(<u>व्यवधान</u>)

माननीय अध्यक्ष : क्या आप सदन में हल्ला करने आए हैं**?** आप चर्चा करें, संवाद करें, बातचीत करें। लोकतंत्र के मंदिर में मैं आप सभी से आग्रहपूर्वक निवेदन करता हूं कि आप चर्चा करें, संवाद करें। इसमें सहमति या असहमति हो सकती है, लेकिन सदन में चर्चा होनी चाहिए।

…(<u>व्यवधान</u>)

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): अध्यक्ष महोदय, आप चर्चा के लिए डेट तय करें। आपको टाइम तय करना है, डेट तय करनी है। हम चर्चा के लिए तैयार हैं। ….(<u>व्यवधान</u>)

14.14 hrs

MATTERS UNDER RULE 377 *

माननीय अध्यक्ष : नियम **377** के अधीन जो भी मामले हों**,** उन्हें सदन के पटल पर रख दीजिए।

…(व्यवधान)

(i) Need to expedite construction of NH-1(44) from Mukarba Chowk in Sonipat to Panipat in Haryana

श्री रमेश चन्द्र कौशिक (सोनीपत):मेरे संसदीय क्षेत्र सोनीपत में एनएच-1 (44) मुकरबा चौक से पानीपत के लिए जो सड़क निर्माण कार्य चल रहा है। वह अब तक पूरा नहीं हुआ है, मेरा सड़क परिवहन मंत्री जी से अनुरोध है कि एनएच-1(44) मुकरबा चौक से पानीपत के लिए निर्माण सड़क का कार्य को जल्दी से जल्दी पूरा करने की कृपा करें।

---

*Treated as laid on the Table.

(ii) Regarding changing the nomenclature of Awas Yojana in Madhya Pradesh

श्री सुधीर गुप्ता (मन्दसौर): मुझे माननीय ग्रामीण विकास मंत्री जी का ध्यान मध्य प्रदेश सरकार की ओर आकृष्ट करते हुये कहना है कि केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री आवास योजना पूरे देश में विगत वर्षों से चल रही है एंव अभी तक करोड़ों रुपये की लागत से आवासों का निर्माण हुआ है एंव लाभार्थियों को सौंपा गया है। मध्य प्रदेश सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना का नाम बदलकर मुख्यमंत्री आवास योजना कर दिया है। इस योजना की राशि केंद्र सरकार द्वारा दी जा रही है। अत: माननीय मंत्री जी से आग्रह है कि मध्य प्रदेश सरकार को प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम से ही योजना चलाने हेतु माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन को आदेश निर्गत करने की कृपा करें।

(iii) Need to ease the conditions of loan scheme under Kisan Credit Card

श्री सुमेधानन्द सरस्वती (सीकर): देश के किसानों को सरकार द्वारा केसीसी के माध्यम से ऋण दिया जाता है। यह ऋण किसान द्वारा वार्षिक एक मुश्त ब्याज सहित बैंक में जमा कराया जाता है। बैंक द्वारा लगभग एक सप्ताह के भीतर किसान को मूल रकम वापस दे दी जाती है। लेकिन कई बार किसान से ब्याज सहित मूल रकम की व्यवस्था नहीं हो पाती है, जिसके कारण वह अपने केसीसी ऋण की राशि जमा नहीं करा पाता है, ब्याज प्रतिशत में छूट नहीं मिलती है, इस कारण किसान को साहूकारों से ज्यादा ब्याज पर रूपये उधार लेना पड़ता है। उधर नहीं मिलने पर वह ऋण जमा भी नहीं करा पाता है। जिससे किसान डिफल्टर हो जाता है किसानों को डिफल्टर एंव साहूकारों से बचाने के लिए बैंकों द्वारा मूल राशि के बजाय केवल ब्याज ही लिया जाये तो किसान आसानी से जमा भी करा देगा और डिफॉल्टर होने से तथा साहूकारों से भी बच सकता है।

(iv) Regarding transfer of immovable property of immigrants

श्री गोपाल शेट्टी (मुम्बई उत्तर): यह सर्वविदित है कि वर्ष 1947 में जब भारत का बंटवारा हुआ तो हिन्दू एंव मुस्लिम आबादी के हिसाब से दो अलग-अलग देश बने तथा दोनों देशों में आबादी के हिसाब से ही भूमि विभाजन हुआ। लेकिन, विभाजन के दौरान और उसके बाद एक बड़ी संख्या में गैर मुस्लिमों का पाकिस्तान से भारत में पलायन हुआ है, मगर उनके हिस्से की भूमि आज भी पाकिस्तान के कब्जे में ही है। वर्तमान समय की बात करें तो पाकिस्तान में हिन्दू, सिक्ख, पारसी, जैन, ईसाई की आबादी घट रही है और मुस्लिम समुदाय की आबादी निरंतर तेजी से बढ़ रही है। इसका एक प्रमुख कारण पाकिस्तान में गैर मुस्लिम लोगों के साथ जघन्य अपराध, अत्याचार एवं उत्पीड़न है, जिस कारण वे पाकिस्तान छोड़कर भारत की ओर पलायन कर रहे हैं और यह सिलसिला आजादी के बाद से लेकर आज तक जारी है। जबकि, वर्ष 1950 में दिल्ली में 'नेहरू लियाकत' समझौता हुआ था, जिसमें यह सुनिश्चित किया गया था कि दोनों देश अपने-अपने देशों में अल्पसंख्यकों का ख्याल रखेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और यह समझौता धरा का धरा रह गया। पाकिस्तान से आकर देश में रहने वाले हिन्दू, सिक्ख, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई की संख्या का कोई आपराधिक अनुमान नहीं है, लेकिन इन समुदायाओं के लोग पाकिस्तान के जघन्य अत्याचारों से परेशान होकर वर्षों से छोटे समूह में दिल्ली या देश के अन्य राज्यों शरण लिए हुए हैं। आज देश में मुस्लिमों की आबादी 15 प्रतिशत से अधिक है जबकि पाकिस्तान में गैर मुस्लिमों की संख्या 2 प्रतिशत से भी कम है। देशवासियों को हार्दिक प्रसन्नता है कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार ने पाकिस्तान सहित बांग्लादेश एवं अफगानिस्तान से देश में आए इन पीड़ित लोगों को संरक्षण देते हुए नागरिकता दिए जाने हेतु अधिनियम पारित किया है जो स्वागतयोग्य है। इस संदर्भ में मेरा अनुरोध है कि आजादी के बाद से लेकर आज तक विशेषकर पाकिस्तान से जो गैर मुस्लिम, जिनमें हिन्दू, सिक्ख, बौद्ध जैन, पारसी, ईसाई, शामिल है, देश में

आकर बसे हैं, उनकी संख्या का आकलन कराकर उनके हिस्से की भूमि को पाकिस्तान से वापस लिए जाने हेतु ठोस कदम उठाए जाएं।

(v) Need to provide a wagon in Pawan Express (train no. 11062) for transportation of Lichee from Muzaffarpur, Bihar to Mumbai

श्री अजय निषाद (मुजफ्फरपुर): मुजफ्फरपुर शाही लीची एवं अन्य प्रकार की लीची उत्पादन के लिए जगत प्रसिद्ध है। यहां उत्पादित लीची की मुंबई के बाजार में बड़ी मांग है। इस कारण यहां के लीची उत्पादक किसान अपने उत्पाद का बड़ा हिस्सा मुंबई के बाजार में बेचते हैं जिससे इनको अत्यधिक राजस्व की प्राप्ति होती है। उत्पादकों को लीची भेजने के लिए पूर्व मध्य रेलवे पवन एक्सप्रेस (गाड़ी संख्या 11062) में पार्सल भान उपलब्ध कराता था जिसमें लगभग 600 टन लीची की ढुलाई मुंबई के लिए होती थी लेकिन 2018 में रेलवे ने इसे बंद कर दिया जिससे किसानों को ट्रक द्वारा ढुलाई कराना पड़ रहा है जिसमें बड़ी मात्रा में लीची सड़ जाती है और साथ ही किसानों के राजस्व पर भी बुरा असर पड़ता है।

मैं माननीय रेल मंत्री जी से मांग करना चाहूंगा कि मुजफ्फरपुर की विख्यात लीची को मुंबई के बाजार में पहुंचाने हेतु पूर्व की भांति पवन एक्सप्रेस **(**गाड़ी सं**0 11062)** में उच्च क्षमता वाले पार्सल भान रेलवे द्वारा निर्धारित भाड़ा पर **20** मई**, 2020** से **10** जून**, 2020** तक के लिए उपलब्ध कराया जाए।

(vi) Need to mitigate the sufferings of banana growers in Jalgaon district, Maharashtra

श्रीमती रक्षा निखिल खडसे (रावेर): महाराष्ट्र राज्य के जलगांव जिले में इस मौसम में तापमान दस डिग्री सेंटीग्रेट से नीचे गिरने से पांच हजार हेक्टर से भी ज्यादा केले की कृषि क्षेत्र में चिलिंग इंजुरी (चरका) से प्रभावित होने से किसानों को भारी मात्रा में नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। केले की तैयार फसल तथा केले की नई प्लांटेशन भी चरका रोग से प्रभावित है। इस प्रादुर्भाव से नई प्लांटेशन की ग्रोथ पूरी तरह से नहीं होती है और आने वाले केले की फसल पर इसका गहरा प्रभाव पड़ता है। इस चिलिंग इंजुरी (चरका) से प्रभावित होने से केले के निर्यात में भी इसके गहरा असर से किसानों को करोड़ों रूपये का नुकसान का अनुमान है। मैं सरकार से अनुरोध करती हूं कि मेरे रावेर निर्वाचन क्षेत्र जिसमें ज्यादातर कृषि क्षेत्र में केले की फसल ली जाती है और इस नेचुरल कैलामिटी से प्रभावित चिलिंग इंजुरी (चरका) से किसान की कठिनाई को ध्यान में रखते हुए इन किसानों को खास करके केले का निर्यात करने वाले किसानों को केंद्र सरकार के माध्यम से मदद मिलने के लिए मैं निवेदन करती हूं और इस नेचुरल कैलामिटी से प्रभावित चिलिंग इंजुरी (चरका) की लागत का प्रतिरोध करने के उपाय खोजने जिससे इस रोग का प्रादुर्भाव कम हो, यह भी अनुरोध करती हूं।

(vii) Need to declare certain state roads in Tripura as National Highways

सुश्री प्रतिमा भौमिक (त्रिपुरा पश्चिम): मैं माननीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री का ध्यान त्रिपुरा राज्य द्वारा राज्य की कुछ सड़कों/मार्गों को राष्ट्रीय राजमार्ग मार्ग घोषित करने की मांग की ओर दिलाना चाहती हूं। राज्य सरकार द्वारा वर्ष **2017** में केन्द्रीय सड़क एवं राजमार्ग मंत्रालय से त्रिपुरा की **6** सड़कों/मार्गों को राष्टीय राजमार्ग घोषित करने का आग्रह किया गया था परन्तु अभी तक केन्द्र सरकार द्वारा इस दिशा में कोई कार्य नहीं किया गया है। अतः मेरा माननीय मंत्री से आग्रह है कि त्रिपुरा राज्य द्वारा की मांग की ओर ध्यान देते हुए इन सभी मार्गों को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने की कृपा करें।

(viii) Need to reopen the Weaving Mill in Sandila Tehsil in Misrikh Parliamentary Constituency, Uttar Pradesh

श्री अशोक कुमार रावत (मिश्रिख): मेरे संसदीय क्षेत्र मिश्रिख (उ0प्र0) में संडीला तहसील में कताई की मिल थी, जो पिछले काफी समय से बंद पड़ी हुई है। इस मिल के अभी तक चालू न होने कारण श्रमिक बेकार हो गए हैं और उनकी जीविका का सहारा भी छूट गया है तथा उनके परिवार अत्यन्त ही दयनीय स्थिति में है और भुखमरी के कगार पर पहुंच गए हैं। मेरे क्षेत्र के लोगों द्वारा इस कताई मिल को पुनः चालू करवाये जाने हेतु विगत कई वर्षों से मांग की जा रही है, लेकिन अब तक इसको स्वीकार नहीं किया गया है।

मेरा अनुरोध है कि मिश्रिख संसदीय क्षेत्र के अन्तर्गत शंडीला में बंद पड़ी कताई मिल को पुनः चालू कराये जाने हेतु विशेष आर्थिक सहायता प्रदान कर पुनः चालू किया जाए और यदि बंद पड़ी इस कताई मिल को पुनः चलाना संभव नहीं है तो फिर ऐसी स्थिति में इस मिल की रिक्त पड़ी भूमि को डिफेंस कॉरिडोर में शामिल किया जाए, ताकि रिक्त पड़ी भूमि विकसित हो सके एवं स्थानीय युवकों को रोजगार सुलभ हो सके।

(ix) Regarding overuse of antibiotics

DR.(PROF.) KIRIT PREMJIBHAI SOLANKI (AHMEDABAD WEST): Anti-microbial Resistance will be one of the challenges India will face in the coming decade. ICMR in its research has found AMR organisms in the digestive tracts of two out of every three individuals who were tested for this study. The problem of antibiotic resistance is turning to become a killer as diseases like pneumonia, tuberculosis and gonorrhoea are becoming difficult to tackle. Apart from overuse of antibiotics for medical treatment (and self-medication), improper waste management, usage of chemical fertilizers and overuse of antibiotics on animals have increased the rate of spread of antibiotic resistance organisms. Antibiotic resistance bacteria has been found even in milk samples and also in groundwater located near waste disposal sites. Thus, I request the Government to raise awareness on the issue and prevent overuse of antibiotics in livestock.

(x) Need to link Prayagraj in Uttar Pradesh with upcoming Defence Industrial Corridor in Uttar Pradesh

प्रो. रीता बहुगुणा जोशी (इलाहाबाद): मैं माननीय भारी उद्योग मंत्री का ध्यान अपने क्षेत्र प्रयागराज की ओर आकृष्ट करना चाहूंगी। मा0 प्रधानमंत्री जी द्वारा 21 फरवरी, 2018 को उत्तर प्रदेश में आयोजित इंवेस्टर समिट में एक डिफेंस इंडस्ट्रियल कारिडोर की घोषणा की थी।

यह कारिडोर अलीगढ़ से शुरू होकर आगरा, झांसी, चित्रकूट, कानपुर होते हुए लखनऊपहुंचेगा।

इलाहाबाद में नैनी किसी समय एक महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्र के रूप में उभरा परन्तु अनेक कारणों से त्रिवेणी स्ट्रक्चरल्स लिमिटेड नैनी**,** स्वदेशी कॉटन मिल**,** मेजा कताई मिल जैसी एक के बाद एक कम्पनियां बंद होती चली गयीं। नैनी की सीमाएं जिला चित्रकूट से जुड़ती हैं तथा वहां की भौगोलिक परिस्थितियां भी काफी हद तक बुंदेलखण्ड के समान हैं। नैनी क्षेत्र में केन्द्रीय एवं प्रदेश के जो सार्वजनिक प्रतिष्ठान हैं उनमें त्रिवेणी स्ट्रक्चरल**,** स्पिनिंग मिल मेजा और कॉटन मिल नैनी में लगभग **350** एकड़ भूमि अनउपयोगी पड़ी हुई है तथा इनके प्रांगण के चार दीवारी में कार्यशालाएं**,** दफ्तर व कर्मचारी आवास भी उपलब्ध है।

मेरी पुरजोर मांग है कि इन सरकारी सुविधाओं के मद्देनजर प्रयागराज को डिफेंस कारिडोर से जोड़ा जाए ताकि यहां की गिरती हुई अर्थव्यवस्था एवं बेरोजगारी को दूर किया जा सके।

(xi)Need to set up an Academy of Tribal Culture in Tripura East Parliamentary Constituency in Tripura

श्री रेबती त्रिपुरा (त्रिपुरा पूर्व): मेरी केन्द्र सरकार से मांग है कि मेरे संसदीय क्षेत्र त्रिपुरा ईस्ट में जनजातियों के सांस्कृतिक संरक्षण एवं विकास के लिए जनजाति कल्चर अकादमी की स्थापना किया जाए। त्रिपुरा में 19 कम्युनिटी हैं। पुरातन काल से सभी की भाषा, संस्कृति काफी उन्नत रही है एवं सभी के विचार में भी समानता है। संगीतकार एस.डी. बर्मन, आर.डी. बर्मन एवं हाल ही में पद्मश्री से सम्मानित बेनी चन्द्र जमातियाँ, श्री ठन्गा डारलांग इन सभी लोगों ने जनजातियों के सांस्कृतिक जीवन एवं राष्ट्र समर्पण के भाव की पूरे देश को अनुभूति करायी है।

मैं केन्द्र सरकार से अपील करता हूँ कि त्रिपुरा जनजाति कल्चर अकादमी की स्थापना से जनजातियों की संस्कृति, लेखन एवं कला का स्थान विश्व पटल पर होगा तथा इससे जनजातियों के आने वाली पीढ़ी के लिए विश्व पटल पर अपनी कला संस्कृति को प्रदर्शित करने का मौका मिलेगा साथ-साथ उनका सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक विकास होगा।

(xii) Need to provide centres of various entrance examinations conducted by SSC and UPSC in Jalaun district, Uttar Pradesh

श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा (जालौन): मेरे संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत जिला जालौन में कर्मचारी चयन आयोग एवं संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में प्रतिवर्ष हजारों की संख्या में छात्र-छात्राएं सम्मिलित होते हैं जो कि आयोग द्वारा संचालित परीक्षाओं में भाग लेने के लिए कानपुर या लखनऊ जाते हैं लेकिन जालौन एक पिछड़ा जिला है यहां आर्थिक रूप से पिछड़े छात्र एवं छात्राएं इस परीक्षा में शामिल होने के लिए कानपुर एवं लखनऊ जाने में सक्षम नहीं हैं। इस कारण से प्रतिभावान छात्र एवं छात्राएं इस परीक्षा में शामिल नहीं हो पाते हैं, जिससे उनका मनोबल लगातार क्षीण हो रहा है। मेरी केंद्र सरकार से मांग है कि जिला जालौन के प्रतिभावान छात्र-छात्राओं के उज्ज्वल भविष्य के लिए जालौन में संघ लोक सेवा आयोग एवं कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाओं के केंद्र बना दिए जाए जिससे जिला जालौन के छात्र-छात्राएं भी उच्च पदों में शामिल होकर देश की सेवा कर सकें।

(xiii) Need to honour Vitthal Sakharam Page, freedom fighter of Maharashtra with Padma Award posthumously

श्री संजय काका पाटील (सांगली):वी.एस. पागे को भारतीय रोजगार गारंटी योजना के पिता के रूप में जाना जाता है। उन्हें 1930 के कानून-तोड़ने वाले आंदोलन, 1940 के व्यक्तिगत सत्याग्रह, 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भागीदारी के लिए कारावास भी मिला था। वी.एस. पागे एक विद्वान, उच्च शिक्षित कार्यकर्ता के रूप में विख्यात थे। रोजगार गारंटी योजना के जनक, वह एक महान स्वतंत्रता सेनानी, एक उत्कृष्ट सांसद थे और उन्होंने महाराष्ट्र विधान परिषद में अपना करियर बनाया।

1972 में, महाराष्ट्र सूखे क्षेत्र में पाया गया था। इस समय, रोजगार गारंटी योजना के माध्यम से रोजगार की गारंटी प्रदान की गई थी। अशिक्षित ग्रामीण बेरोजगारों को अपने स्वयं के परिसर में रोजगार प्रदान करने की यह योजना वस्तुतः करोड़ों बेरोजगारों के लिए एक वरदान बन गई है। योजना ने शहरों में जाने वाले प्रवासियों की संख्या को निःसंदेह कम कर दिया है। इस योजना को संयुक्त राष्ट्र में सम्मानित किया गया था। यह योजना संयुक्त राष्ट्र द्वारा कुछ पिछड़े अफ्रीकी देशों में लागू की जा रही है। केन्द्र सरकार को इस योजना की उपयोगिता मिलने के बाद, संसद में एक कानून पारित किया गया और इसे देश भर में तुरंत लागू किया गया।

वी.एस. पागे द्वारा किसानों, खेत, मजदूरों, गरीबों, निराश्रितों, मेहनतकशों के जीवन के लिए रोजगार गारंटी योजना के माध्यम से प्रकाश डाला गया है। उनके काम करने के अधिकार के लिए उनके शब्दों में, "काम के अधिकार के ये शब्द नए प्रतीत होंगे, लेकिन इस अधिकार के साथ लोगों के व्यापक स्व-शासन होंगे, राज्य के निर्माण, अधिक से अधिक लोगों को नौकरी मिलेगी और उनके जीवन का अर्थ होगा। " वी.एस. पागे द्वारा सामाजिक राजनीतिक एवं सार्वजनिक जीवन में उनके द्वारा लिए गए पुनीत एवं जनहितकारी कार्यों के लिए मरणोपरांत पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया जाना चाहिए।

(xiv) Need to improve the infrastructure at Employees' State Insurance Hospital, Karur in Kerala

SUSHRI S. JOTHIMANI (KARUR): There is an urgent need to allocate adequate funds and take necessary action in order to improve the quality of healthcare provided by the Karur Employee State Insurance (ESI) Hospital in Karur district, which falls under the Karur Parliamentary Constituency.

At present, there is only an out-patient facility available at the ESI Hospital. There is a requirement to convert it into a multi-speciality hospital. The upgraded infrastructure will be beneficial for the workers of the district to receive high quality healthcare services.

Therefore, I urge the Government to upgrade and improve the health infrastructure and medical services at the ESI Hospital in Karur.

(xv) Need to ensure sale of original organic products

KUMARI RAMYA HARIDAS (ALATHUR): There is a lot of attraction for the organic or "Jaiva" food items in the market and these food items get a better price. Now,many of the retail-traders are following this trend in the market and sell all items in the trade name "Jaiva" or organic. The number of cancer patients has increased in a short span and it has come out in studies that the main cause is the usage of pesticides and chemicals in agriculture farms. The threat is towards the future generation.

So, adequate legislations have to be made by the Food Safety and Standards Authority of India, so that original organic products only come to the market and only the farmers producing organic products get the benefit.

I urge upon the Union Government to take immediate action in this regard.

(xvi) Need for parking and resting facilities for truck drivers plying on Hosur-Salem-Kochi stretch of National Highway

SHRI V.K. SREEKANDAN (PALAKKAD): The main reason as per initial report for the accident that happened in the wee hours of 20.02.2020 at Avinashi in Tamil Nadu, involving a bus and a container truck, in which 19 persons have lost their lives and many others sustained serious injuries, was due to the container truck driver dozing off at the wheels. Earlier there was a shift system for the truck drivers plying vehicles on long distance routes with sleeper facility in the cabin which has been done away with the current Motor Vehicles Amendment Act, forcing the truck drivers to drive the vehicles without any break for a longer duration. This needs to be rolled back again. Hosur-Salem-Kochi stretch on the National Highway is the highest vehicular traffic stretch in the country. Since this stretch is having heavy vehicular movement, especially in the nights, parking and resting facilities need to be created as well as speed up monitoring by cameras.

Therefore, I urge upon the Government to install cameras as well as create parking place and resting facilities along this stretch and also bring back the shift system for the long distance truck drivers urgently.

(xvii) Need to recruit adequate local manpower in ISRO Propulsion Complex in Tamil Nadu

SHRI S. GNANATHIRAVIAM (TIRUNELVELI): ISRO Propulsion Complex (IPRC) is the only functional ISRO/DOS centre located in state of Tamilnadu, it is one of the unique high technology installations of ISRO and is responsible for rocket engine testing, Integration of rocket stages, handling and storage of Earth Storable and Cryogenic propellants for ISRO's launches. It is geographically the biggest centre in ISRO with 8000 acres of land and strategically located on National Highway 47.

This centre is located in my Constituency and it was formed in the year 1982, I came to know from the records that, IPRC is doing 80% of Liquid Propulsion system related testing, assembly and integration works and supplying the rocket stages for launches. IPRC/ISRO centre is engaging nearly 2000 contract employees for more than 20 years and has not enhanced its permanent staff strength. At present, the centre is functioning with nearly 700 permanent employees whereas the nearby ISRO VSSC, located at Veli Kerala is having nearly 7000 permanent manpower and having only 700 contract manpower.

I came to know from news dailies that URSC/ISRO Sangalore centre is recruiting more than 180 posts in Admin, Auxiliary, Technician posts in group C and D category via vide Advt.No.URSC:O1:2020 dated February 15, 2020 on a single stretch whereas the pioneering IPRC/ISRO centre which requires more

number of manpower is operated by contract Man powers. In ISRO many times such mass recruitments were sanctioned by ISRO Headquarters whereas no such recruitments were made to fulfill the manpower requirements of the lone IPRC/ISRO centre located at Tamil Nadu. IPRC centre is not providing preference for local candidates in Group C and D recruitments, As per Tamilnadu state orders all central government installations in the state should provide 69% of Group C and D posts to local candidates. IPRC/ISRO management has not provided recruitments for local candidates for the past 15 years and has not increased its permanent staff strength.

As Hon'ble Minister is aware Kanyakumari, Tirunelveli, Thoothukudi and Tenkasi districts are having high literacy rate and having more qualified technical candidates but it is pity to note that none of these people have been recruited even in Group-C & D posts in the nearby R&D installation of ISRO in recent decades. IPRC/ISRO is only having only 4 Safety engineers to look after the safety systems of Propellant Storage and Transportation facility which handles tones of hazardous propellants. The propellant handling infrastructures is operated by un-skilled contract manpower at IPRC. Similar Propellant handling Infrastructures at ISRO’s Launch PAD SDSC Sriharikota, is having nearly 150 permanent, to look after safety related activities.

I request the Hon'ble Minster to direct Department of Space to recruit adequate local manpower in IPRC, Tamil Nadu.

(xviii) Regardig considering genuine needs of differently-abled sports persons

DR. T. R. PAARIVENDHAR (PERAMBALUR): I would like to bring to the kind notice of the Government that there are many special schools running for differently-abled persons in our country. Many differently-abled sports persons are participating in state, national and international level sports and games. My request to the Union Government through you, Sir, is that in the Central Government Sports Quota Appointments, 1% of posts can be reserved for differently abled International and National Medal winners. Presently, differently abled persons are doing well at the International level games. This will be a great motivation to them.

There is a need of separate compartment in trains and adequate concession for travelling in flights along with the companion for differently abled sports persons to participate in international sports tournaments like Special Olympics and Paralympics.

Already the Government of India is sponsoring the air tickets for the participants of Special Olympics, Paralympics, which includes Asian Games, Commonwealth Games and World Championship. But not for the International events which are qualifier for the Paralympics. At least, 50% concessions can be given for the eligible participants.

So, I urge upon the Union Ministry of Youth affairs and Sports to consider the genuine needs of the differently abled sports persons.

(xix) Regarding setting up of AIIMS in Andhra Pradesh

SHRI RAGHU RAMA KRISHNA RAJU (NARSAPURAM): I would like to draw the attention of the Government towards setting up of AIIMS in Andhra Pradesh which was one of the promises of AP Reorganization Act, 2014. The approval for AIIMS at Mangalagiri in Guntur District of Andhra Pradesh was given in October, 2015. The approved cost of the project is Rs 1618 crore. A quantum of Rs. 233 crores have been released so far. It was also decided that an additional Rs. 272 crores will be provided under Pradhan Mantri Swasthya Suraksha Yojana (PMSSY). Subsequently, tender was finalized. The master plan had also been finalized and initial construction under phase-I has begun. The Government of Andhra Pradesh provided 192 acres of land near Mangalagiri for this green campus. It is scheduled to be completed by October 2020.

Keeping in view the scheduled completion date, I urge upon the Hon'ble Minister for Health and Family Welfare to allocate sufficient funds for early completion of AIIMS in Andhra Pradesh.

(xx) Need to lay a new railway line from Joynagar to Moipith in West Bengal

SHRIMATI PRATIMA MONDAL (JAYNAGAR): I would like to bring to the notice of the Hon'ble Railways Minister that there is a long pending demand for construction of new railway line from Joynagar to Moipith via Jamtala. It is further to be noted that I raised the issue in the Parliament during Zero our, Rule under 377 and during railway budget discussion during the last five years. Lakhs of people of the said area are being deprived of availing railway facility even after 73 years of our Independence.

The said area belongs to my Parliamentary Constituency and I shall be grateful if the Hon'ble Railway Minister takes the effective steps in this regard.

(xxi) Need to release the share of Central Government for payment of compensation to farmers in Buldhana Parliamentary Constituency, Maharashtra

श्री प्रतापराव जाधव (बुलढाणा): मेरे संसदीय क्षेत्र बुलढाणा (महाराष्ट्र) के अन्तर्गत बिना मौसम की बारिश से 1413 ग्रामों के 4 लाख 69 हजार 303 किसान प्रभावित हुए हैं, जिसमें उनकी 4 लाख 85 हजार 639 हेक्टेयर क्षेत्र की उड़द, मूंग, सोयाबीन, कपास, तुवर, ज्वार, मक्का, बाजरा, तिल, सब्जी, फल इत्यादि की फसल पूरी तरह से नष्ट हो गई। मेरे क्षेत्र के किसानों की जीविका का एक मात्र सहारा उनकी फसल ही है। लेकिन, बिना मौसम की बारिश होने से वे आर्थिक तंगी की स्थिति में पहुंच गए हैं।

राज्य सरकार की ओर से इस प्राकृतिक आपदा से प्रभावित प्रत्येक किसान को प्रति हेक्टेयर भूमि पर **8** हजार रू**.**की राशि अपने हिस्से से प्रदान कर दी गई है**,** लेकिन केन्द्र सरकार के हिस्से की ओर से यह राशि मेरे क्षेत्र के किसानों को आज तक प्राप्त नहीं हुई है तथा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ भी मेरे क्षेत्र के प्राकृतिक आपदा से प्रभावित किसानों को अब तक नहीं मिल पाया है।

अतः मेरा अनुरोध है कि मेरे संसदीय क्षेत्र के प्रभावित किसानों को जिस प्रकार से राज्य सरकार ने अपने हिस्से की राशि अदा कर दी है**,** उसी प्रकार से केन्द्र सरकार भी अपने हिस्से की केन्द्रीय राशि तुरन्त अदा करे और साथ ही प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना के अन्तर्गत दी जाने वाली राशि का भुगतान भी मेरे संसदीय क्षेत्र के प्रभावित किसानों को अविलम्ब किए जाने हेतु निर्देश प्रदान किए जाएं।

(xxii) Need to include certain castes as proposed by Government of Bihar in the list of Scheduled Tribes

श्री कौशलेन्द्र कुमार (नालंदा):मैं बिहार राज्य के मल्लाह, निषाद (बिंद, बेलदार, चॉय, तीयर, खुलवट, सरहिया, गोढ़ी, वनपर, केवट) एवं नोनिया जाति के आर्थिक, राजनीतिक शैक्षणिक एवं रोजगार में पिछड़ेपन को देखते हुए इन सभी उप जातियों/जातियों को अनुसूचित जनजाति घोषित करने हेतु बिहार सरकार की अनुशंसा पत्रांक 67 (11), दिनांक 5.9.2015 के द्वारा सचिव, जनजातीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार को प्राप्त है। इस परिप्रेक्ष्य में आवश्यक कार्यवाही करते हुए निदेशक, जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक 12538(1), दिनांक 23.9.2015 के द्वारा राज्य सरकार से उक्त वर्णित उप जातियों/जातियों के इथनोग्राफिक रिपोर्ट उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है। बिहार सरकार ने विवेचित जातियों के समग्र विकास हेतु कृत संकल्पता को दिखाते हुए अनुग्रह नारायण सिंह समाज अध्ययन संस्थान पटना द्वारा इथनोग्राफिक रिपोर्ट तैयार करवाकर पत्रांक 7587 दिनांक 9.6.2018 को सचिव, जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार को उपलब्ध करा दिया गया है, परंतु भारत सरकार के द्वारा कोई ठोस पहल नहीं होने के कारण राज्य के असंख्य मल्लाह, निषाद के उप जातियों/जातियों में केंद्र सरकार के प्रति घोर निराशा व्याप्त हो रहीहै। इस संबंध में बिहार से एक प्रतिनिधिमंडल ने भी पत्रांक 292/आ. दिनांक 30.1.2019 के द्वारा तत्कालीन माननीय मंत्री जनजातीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार को एक ज्ञापन सौंपा था, फिर भी इस ओर कोई ठोस पहल नहीं हो पाई है। अतः मेरी केंद्र सरकार से मांग है कि विवेचित जातियों के मानवीय संवेदना और बिहार सरकार की संसूचित अनुशंसा के आधार पर राज्य के मल्लाह निषाद (बिंद, बेलदार, चॉय, तीयर, खुलवट, सुरहिया, गोढ़ी, वनपर, केवट) एवं नोनिया जाति को अनुसूचित जनजाति में अधिसूचित किया जाए, जिससे कि बिहार के असंख्य मल्लाह निषाद के उप जातियों/जातियों को इसका लाभ प्राप्त हो सके।

(xxiii) Need to run a superfast train from Moradabad to Mumbai with the stoppage of the train also at Amroha in Uttar Pradesh

कुंवर दानिश अली (अमरोहा): मेरे संसदीय क्षेत्र अमरोहा की मतदाता संख्या लगभग 18.4 लाख है। वासुदेव मंदिर, सैयद शरफुद्दीन शाह विलायत की दरगाह, तुलसी पार्क, गजरौला, रजाबपुर, कंखाधर और तिगरी आदि यहां के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से हैं। अमरोहा कृषि उत्पादों की मंडी होने के साथ-साथ अमरोहा में मुख्यतः हथकरघा वस्त्र, मिट्टी के बर्तन उद्योग व चीनी की मिलें हैं।

अमरोहा रेल मार्ग से मुरादाबाद व दिल्ली से जुड़ा हुआ है। मुरादाबाद रेलवे स्टेशन ए श्रेणी के होने के बावजूद यहां से मुम्बई के लिए सीधे ट्रेन की सेवाएं उपलब्ध नहीं हैं। इसके चलते मुम्बई में रहने वाले अमरोहा और मुरादाबाद के सैकड़ों यात्रियों को दिल्ली में प्लेटफार्म बदलने पड़ते हैं। इसके अलावा निर्यातकों को भी परेशानी उठानी पड़ती है।

मेरी सरकार से मांग है कि दैनिक यात्रियों और निर्यातकों की समस्या को देखते हुए मुरादाबाद के रास्ते अमरोहा में स्टॉपेज की सुविधा के साथ मुम्बई तक सुपरफास्ट ट्रेन चलवाने की कृपा करें।

کنوردانشعلی

(امروہہ):محترماسپیکرصاحب،میرےپارلیمانیحلقہامروہہکےووٹرونکیآبادیتقریباً 18.4

لاکھہے۔واسودیومندر،سیدشرفالدینشاہولایتکیدرگاہ،تلسیپارک،گجرولہ،رجبپور،

کنکھاگھراورتِگریوغیرہیہانکےمشہورسیاحتیمقامہیں،امروہہزرعیپیداوارکیمنڈ

یہونےکےساتھساتھامروہہمیںخاصکرہتھکرگھاکپڑے،مٹیکےبرتنکیصنعتاورچ

ینیکیملینہیں۔

امروہہریلمارگسے مرادآبادودہلیسے جُڑاہے۔مرادآبادریلوےاسٹیشنا ے۔گر
یڈہونے کے باوجودیہانسے ممبئیکے لئے سید ھیٹرینکیسہولیتمہیانہینہے۔اسکے
چلتے ممبئیمینرہنے والے امروہہاورمرادآبادکے سیکڑونمسافرونکودہلیمینپلیٹفا
رمبدلنے پڑتے ہیں۔اسکے علاوہایکسپورٹرونکوبھیپریشانیاُٹھانیپڑتیہے۔

جناب،آپکے ذریعہمیریسرکارسے مانگہے کہروزانہکے مسافروناورنِریاتـ
کونکیپریشانیکودیکھتے ہوئے مرادآبادکے راستے امروہہمیناسٹاپیجکیسہولیتک
ےساتھممبئیتکسپرفاسٹٹرینچلوانے کیمہربانیکریں۔شکریہ۔۔

(xxiv) Need to constitute a Fishermen Welfare Fund

SHRI RAM MOHAN NAIDU KINJARAPU (SRIKAKULAM): Hon'ble Prime Minister has called for a revolution in fisheries called Neel Kranti Mission.

Fishermen should form the core of it but unfortunately very minimal has been done for them. With coastline of 197 km, fishing is major source of livelihood for people of Srikakulam District.

But fishermen in Srikakulam are witnessing serious crises owing to limitations like lack of finance, lack of storage facilities and losses caused by natural calamities like cyclones. At times, the fishermen get carried away by water currents or get caught by Armed Forces of the neighbouring countries. Also lack of fishing infrastructure like jetties and dearth of advanced fishing equipment in Srikakulam is forcing fishermen to migrate to other parts of the country.

I request the Government to constitute a Fishermen Welfare Fund and sanction a special grant for the development of fishery in Srikakulam. Neel Kranti Mission has to begin from welfare of Fishermen.

(xxv)Need to sanction additional new batch for academic year 2020-2021 in Kendriya Vidyalaya at Kollam in Kerala

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): All Classes in Kollam Kendriya Vidyalaya are crowded. The number of students in the class is more than that of the sanctioned strength. The school authorities are legally bound to admit more students in the class due to the transfer of parents. The number of students eligible for admission in Kollam Kendriya Vidyalaya is many times more than the sanctioned strength. Additional batches in all classes are essential to meet the requirement. Sufficient infrastructure facilities such as classrooms, library, laboratory etc. for three divisions in each class are available in Kollam Kendriya Vidyalaya. It is pertinent to note that eligible students are not getting admission in the school due to the lack of sufficient divisions.

Hence, I urge upon to sanction additional new batch for class 1 to 12 in Kendriya Vidyalaya, Kollam during the academic year 2020-21.

(xxvi) Regarding problem of teachers in Dadra and Nagar Haveli

SHRI MOHANBHAI SANJIBHAI DELKAR (DADRA and NAGAR HAVELI): In the Union Territory of Dadra and Nagar Haveli, more than 1000 teachers have been working in the Education Department for 15 to 20 years. They have been appointed legally as per the guidelines of the Government of India, yet their jobs have not been confirmed. It is a matter of concern for the State. Meanwhile, the Gazette has been issued by the local administration for the hasty recruitment rules and the recruitment process, so the future of thousands of working teachers has been affected. The Gazette should be repealed and the process of permanent appointment of teachers should be started.

माननीय अध्यक्ष: मैं आपसे व्यक्तिगत रूप से आग्रह कर रहा हूँ। आप लोग अपनी-अपनी सीट पर जाइए। जिस विषय पर आप चर्चा करने के लिए कह रहे हैं, उस विषय पर सरकार चर्चा करने के लिए तैयार है। मैं चर्चा कराने को तैयार हूँ।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: मैं विस्तृत चर्चा कराने के लिए तैयार हूँ। आप विषय को रखें, नारेबाजी न करें। आप सदन के बाहर नारेबाजी करें।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: आप चर्चा करें। यह एक महत्त्वपूर्ण बिल है।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, यह एक महत्त्वपूर्ण बिल है।

…(व्यवधान)

<u>14.16 hrs</u>

DIRECT TAX VIVAD SE VISHWAS BILL, 2020

माननीय अध्यक्ष: अब हम आइटम नम्बर 23 ले रहे हैं।

माननीया मंत्री जी।

…(व्यवधान)

THE MINISTER OF FINANCE AND MINISTER OF CORPORATE AFFAIRS (SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN): Sir, I beg to move:

"That the Bill to provide for resolution of dispute tax and for matters connected therewith or incidental thereto, be taken into consideration."

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है:

"कि विवादित कर के समाधान के लिए और उससे संबंधित अथवा उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए विधेयक पर विचार किया जाए। "

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: अब सभा विधेयक पर खण्डवार विचार करेगी।

Clause 2 Definitions

माननीय अध्यक्ष : प्रो. सौगत राय - संशोधन संख्या 1.

श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन - संशोधन संख्या 11.

…(व्यवधान)

Amendments made:

Page 1, *for* lines 4-6, *substitute* ––

'(a) "appellant" means ––

(i) a person in whose case an appeal or a writ petition or special leave petition has been filed either by him or by the income-tax authority or by both, before an appellate forum and such appeal or petition is pending as on the specifieddate;

(ii) a person in whose case an order has been passed by the Assessing Officer, or an order has been passed by the Commissioner(Appeals) or the Income Tax Appellate Tribunal in an appeal, or by the High Court in a writ petition, on or before the specified date, and the time for filing any appeal or special leave petition against such order by that person has not expired as on thatdate;

(iii) a person who has filed his objections before the Dispute

Resolution Panel under section 144C of the Income- tax Act, 1961 and the Dispute Resolution Panel has not issued any direction on or before the specifieddate;

(iv) a person in whose case the Dispute Resolution Panel has issued direction under sub-section (5) of section 144C of the Income-tax Act and the Assessing Officer has not passed any order under sub-section (13) of that section on or before the specifieddate;

(v) a person who has filed an application for revision under section 264 of the Income-tax Act and such application is pending as on the specifieddate;'. (13)

Page 2, *for* lines 19-50, *substitute* ––

(j) "disputed tax", in relation to an assessment year or financial year, as the case may be, means the income-tax, including surcharge and cess (hereafter in this clause referred to as the amount of tax) payable by the appellant under the provisions of the Income-tax Act, 1961, as computedhereunder:-

(A) in a case where any appeal, writ petition or special leave petition is pending before the appellate forum as on the specified date, the amount of tax that is payable by the appellant if such appeal or writ petition or specialleave petition was to be decided againsthim;

(B) in a case where an order in an appeal or in writ petition has been passed by the appellate forum on or before the specified date, and the time for filing appeal or special leave petition against such order has not expired as on that date, the amount of tax payable by the appellant after giving effect to the order sopassed;

(C) in a case where the order has been passed by the Assessing Officer on or before the specified date, and the time for filing appeal against such order has not expired as on that date, the amount of tax payable by the appellant in accordance with suchorder;

(D) in a case where objection filed by the appellant is pending before the Dispute Resolution Panel under section 144C of the Income-tax Act as on the specified date, the amount of tax payable by the appellant if the Dispute Resolution Panel was to confirm the variation proposed in the draftorder;

(E) in a case where Dispute Resolution Panel has issued any direction under sub-section (5) of section 144C of the Income-tax Act and the Assessing Officer has not passed the order under sub-section (13) of that section on or before the specified date, the amount of tax payable by the appellant as per the assessment order to be passed by the Assessing Officer under sub-section (13)thereof;

(F) in a case where an application for revision under section 264 of the Income-tax Act is pending as on the specified date, the amount of tax payable by the appellant if such application for revision was not to beaccepted:

Provided that in a case where Commissioner (Appeals) has issued notice of enhancement under section 251 of the Income- tax Act on or before the specified date, the disputed tax shall be increased by the amount of tax pertaining to issuesfor which notice of enhancement has been issued:

Provided further that in a case where the dispute in relation to an assessment year relates to reduction of tax credit under section 115JAA or section 115D of the Income-tax Act or any loss or depreciation computed thereunder, the appellant shall have an option either to include the amount of tax related to such tax credit or loss or depreciation in the amount of disputedtax, ortocarryforwardthereducedtaxcreditorloss or depreciation, in

such manner as may be prescribed. (14)

Page 3,*omit* lines 1-3. (15)

(Shrimati Nirmala Sitharaman)

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

"कि खंड 2, यथा संशोधित, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2, यथा संशोधित, विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 3 Amount payable by declarant

माननीय अध्यक्ष : प्रो. सौगत राय - संशोधन संख्या 2 और 3.

श्री कोडीकुन्नील सुरेश - संशोधन संख्या 12.

…(व्यवधान)

Amendments made:

Page 3, *after* line 41, *insert* –

(aa) where the tax arrear includes the tax, interest or penalty determined in any assessment on the basis of search under section 132 or section 132A of the Income-tax Act.	The aggregate of the amount of disputed tax and twenty-fiveper cent. of the disputed tax: Provided that where the twenty-five per cent. of disputed tax exceeds the aggregate amount of interest chargeable or charged on such	The aggregate of the amount of disputed tax and thirty-five per cent. of disputedtax: Provided that where the thirty-five per cent. of disputed tax exceeds the Aggregate amount of interest chargeable or charged on such disputed tax and

	disputed tax and penalty leviable or levied on such disputed tax, the excess shall be ignored for the purpose of computation of amount payable under this Act.	penalty leviable or levied on such disputed tax, the excess shall be ignored for the purpose of computation of amount payable.

(16)

Page 3, *after* line 45, *insert* --

"Provided that in a case where an appeal or writ petition or special leave petition is filed by the income-tax authority on any issue before the appellate forum, the amount payable shall be one- half of the amount in the Table above calculated on such issue, in such manner as may be prescribed:

Provided further that in a case where an appeal is filed before the Commissioner (Appeals) or objections is filed before the Dispute Resolution Panel by the appellant on any issue on which he has already got a decision in his favour from Income Tax Appellate Tribunal (where the decision on such issue is not reversed by the High Court or the Supreme Court) or the High Court (where the decision on such issue is not reversed by the Supreme

Court), the amount payable shall be one-half of the amount in the Table above calculated on such issue, in such manner as may be prescribed:

Provided also that in a case where an appeal is filed by the appellant on any issue before Income Tax Appellate Tribunal on which he has already got a decision in his favour from the High Court (where the decision on such issue is not reversed by the Supreme Court), the amount payable shall be one-half of the amount in the Table above calculated on such issue, in such manner as may beprescribed.”. (17)

(Shrimati Nirmala Sitharaman)

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

“कि खंड 3, यथा संशोधित, विधेयक का अंग बने। ”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 3, यथा संशोधित, विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 4 Filing of declaration and Particulars to be furnished

माननीय अध्यक्ष : प्रो. सौगत राय - संशोधन संख्या 4 और 5.

…(व्यवधान)

Amendment made:

Page 4, *for* lines 8-18, *substitute* —

"(3) Where the declarant has filed any appeal before the appellate forum or any writ petition before the High Court or the Supreme Court against any order in respect of tax arrear, he shall withdraw such appeal or writ petition with the leave of the Court wherever required after issuance of certificate under sub-section (1) of section 5 and furnish proof of such withdrawal alongwith the intimation of payment to the designated authority under sub- section (2) of section5.

(4) Where the declarant has initiated any proceeding for arbitration, conciliation or mediation, or has given any notice thereof under any law for the time being in force or under any agreement entered into by India with any other country or territory outside India whether for protection of investment or otherwise, he shall withdraw the claim, if any, in such proceedings or notice after issuance of certificate under sub-section (1) of section 5 and furnish proof of such withdrawal

alongwith the intimation of payment to the designated authority under sub-section (2) of section5.”

(18)

(Shrimati Nirmala Sitharaman)

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

“कि खंड 4, यथा संशोधित, विधेयक का अंग बने। ”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 4, यथा संशोधित, विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 5 Time and manner of payment

माननीय अध्यक्ष : प्रो. सौगत राय - संशोधन संख्या 6 और 7.

…(व्यवधान)

Amendment made:

Page 5, *after* line 5, *insert*––

"Explanation.–– For the removal of doubts, it is hereby clarified that making a declaration under this Act shall not amount to conceding the tax position and it shall not be lawful for the income-tax authority or the declarant being a party in appeal or writ petition or special leave petition to contend that the declarant or the income-tax authority, as the case may be, has acquiesced in the decision on the disputed issue by settling the dispute.". (19)

(Shrimati Nirmala Sitharaman)

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

"कि खंड 5, यथा संशोधित, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 5, यथा संशोधित, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 6 विधेयक में जोड़ दिया गया।

…(व्यवधान)

Clause 7 No refund of amount paid

माननीय अध्यक्ष : प्रो. सौगत राय - संशोधन संख्या 8.

माननीया मंत्री जी।

…(व्यवधान)

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: Sir, I am moving my amendment. …(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: आप सब अपनी सीटों पर बैठ जाइए।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: सत्ता पक्ष के माननीय सदस्य अपनी सीटों पर बैठिए।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: मैडम, आप अपनी सीट पर बैठिए।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: इनको समझाइए।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: आप अपनी सीट पर बैठिए।

…(व्यवधान)

संसदीय कार्य मंत्री; कोयला मंत्री तथा खान मंत्री (श्री प्रहलाद जोशी): सर, आप बिल पारित कीजिए।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: आप सब एक मिनट के लिए मेरी बात सुनिए **।**

…(<u>व्यवधान</u>)

माननीय अध्यक्ष: सदन की कार्यवाही कल **11** बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

<u>14.21 hrs</u>

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Wednesday, March 4, 2020/Phalguna, 14, 1941(Saka).